|| कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू (राज.) ||

क्रमांकः 22 दिनांक :-02.05.2024

:: आदेश ::

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रिमीनल अपील संख्या 652/2012 युनियन ऑफ इण्डिया बनाम मोहनलाल वगैरह में पारित आदेश दिनांक 28.01.2016 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. क्रिमीनल मिसलेनियस (एस.ओ.एस संख्या 42/2016) में पारित आदेश दिनांक 12.04. 2016 की अनुपालना में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52A (2) के तहत पेश होने वाले इन्वेंट्री कार्यवाही के प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण के प्रयोजनार्थ यह आदेश पारित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 52A (2) के तहत अब इन्वेंट्री कार्यवाही के प्रार्थना पत्र नीचे वर्णितानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट्स के समक्ष प्रस्तुत होंगे जिनके द्वारा तत्परता से विधि अनुसार इन्वेंट्री कार्यवाही सम्पादित की जाकर प्रार्थना पत्र का शीघ्र निस्तारण किया जाएगाः-

क्र.सं.	बरामद अवैध मादक पदार्थ की मात्रा या अन्य कोई सामग्री	न्यायिक अधिकारी, जिसके द्वारा इन्वेंट्री कार्यवाही सम्पादित की जाएगी	विशेष विवरण
1	लघु मात्रा होने की दशा में	लघु मात्रा के प्रकरण के विचारण की क्षेत्राधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिंक न्यायिक अधिकारी द्वारा	एफ.आई.आर. से सम्बन्धित पुलिस थाने के थानाधिकारी / प्रभारी अधिकारी द्वारा इन्वेंट्री कार्यवाही का प्रार्थना पत्र सीधे ही लिंक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2	लघु मात्रा से अधिक मात्रा होने की दशा में	सम्बन्धित पुलिस थाना के सक्षम क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट स्वयं द्वारा	एफ.आई.आर. से सम्बन्धित पुलिस थाने के थानाधिकारी / प्रभारी अधिकारी द्वारा इन्वेंट्री कार्यवाही का प्रार्थना पत्र सीधे ही अपने पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

लिंक न्यायिक अधिकारी, वह अधिकारी होगा जिसे इस श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, चूरु के तत्समय प्रभावशील आदेश क्रमांक 1(जी)(1)स्था./2023/107 दिनांक 27.04.2023 के माध्यम से लिंक अधिकारी घोषित किया गया है।

यह आदेश चूरू मुख्यालय पर लागू नहीं होगा, चूरू मुख्यालय पर इन्वेंट्री हेतु मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने बाबत आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पूर्वानुसार पेश किये जायेंगे।

इस आदेश के पश्चात भी यदि इन्वेंट्री आवेदन में किसी प्रकार की समस्या आती है तो इस बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।

-sd-

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

चूरू (राज.)

क्रमांक: 510 दिनांक :-02.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, चूरू (राज.) को सूचनार्थ।

2. पुलिस अधीक्षक, चूरू को आदेश की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि चूरू न्यायाक्षेत्र के समस्त थानाधिकारीगण को निर्देशित करें कि इन्वेंट्री प्रार्थना पत्र संबंधित मजिस्ट्रेट या लिंक मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पेश करें।

3. अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सरदारशहर/राजगढ़/सुजानगढ़/रतनगढ़ तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू/सरदारशहर/तारानगर/राजगढ़/सुजानगढ़/बीदासर/अति. न्यायिक मजि. चूरू/ग्राम न्यायालय, राजगढ़ को उपरोक्त आदेश की पालना हेतु जरिये ई-मेल।

4. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, चूरू को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

5. कार्यालय प्रति।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चूरू (राज.)